संख्या-2024/001-3690422023

प्रेषक,

राजेश कुमार-।।,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक- 18/01/2024

विषयः- जनपद इटावा में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल सैफई में सभी मौसमों के लिए उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 1029/नि0 सैफई तरणताल पत्रा/2023-24, दिनांक 29.11.2023 एवं शासनादेश संख्या-2396/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 03.11.2014 तथा शासनादेश संख्या- 2022/001-42010020022021 दिनांक 10.08.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद इटावा में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल सैफई में सभी मौसमों के लिए उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा अनुपूरक आगणन की आंकलित लागत रू0 411.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 311.77 लाख के सापेक्ष परियोजना हेतु देय धनराशि रू0 1,27,32,000/-(रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख बत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-86-सैफई में स्टेडियम का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य से निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 1,27,32,000/-(रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख बत्तीस हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानिटरिंग भी की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक,खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) निदेशक,खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चत की जायेगी।

(9) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) निदेशक,खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(12) निदेशक, खेल द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए उसका परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) कार्यदायी संस्था द्वारा वस्तुविक निर्माण कार्य की निविदायें वृहत प्रचार-प्रसार हेतु ई-निविदा के साथ कराना अनिवार्य होगा तथा निर्माण कार्य का विस्तृत प्राक्कलन तकनीकी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कराते हुए स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ.प्र. बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(19) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था, का होगा।

(20) इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 2396/बयालिस-2014-116(विविध)/2012, दिनांक 03.11.2014 तथा शासनादेश संख्या- 2022/001-42010020022021 दिनांक 10.08.2022 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,27,32,000 (रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख बत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 022 **लेखा शीर्षक** 4202038008600 सैफई में स्टेडियम का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार-।।

विशेष सचिव।

संख्या-2024/ 001-3690422023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- जिलाधिकारी, इटावा।

5- क्रीडा अधिकारी, इटावा, सैफई।

6- प्रधानाचार्य, मेजर ध्यान चन्द स्पोर्टस कालेज, सैफई, इटावा।

7- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
10- नियोजन अनुभाग- 4
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।